निविदा मूल्य : रू. 400/–

Form No. ________

निविदा प्रपत्र

UBN NO. : DOIT/RC/2016/109 **Dated: 04.10.2016**

निविदा संख्या	F11(326)/DOIT/Project/16/I/58014/2016 Dt:04.10.2016
निविदा प्रपत्र अपलोड करने की दिनांक व समय	दिनांक 04/10/2016
निविदा प्रपत्र विक्रय आरम्भ करने की दिनांक व समय	दिनांक 04/10/2016 05:00 बजे से Basement B-3 (लेखा शाखा), DoIT&C से
निविदा प्रपत्र अपलोड करने की दिनांक व समय	दिनांक 04/10/2016 05:00 बजे
निविदा प्रपत्र विक्रय की आरंभ करने की तिथि व समय	दिनांक 04/10/2016 05:00 बजे से Basement B-3 (लेखा शाखा), DoIT&C से
निविदा प्रपत्र विक्रय की अंतिम तिथि व समय	दिनांक 19/10/2016 दोपहर 03.00 बजे तक Basement B-3 (लेखा शाखा), DoIT&C से
निविदा प्रक्रिया	ई निविदा http://eproc.rajasthan.gov.in के माध्यम से।
निविदा प्रपत्र ऑन लाईन जमा कराने की अंतिम तिथि व समय	दिनांक 19/10/2016 दोपहर 03.00 बजे तक ई–प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल पर
निविदा प्रपत्र राशि, आर.आई.एस.एल प्रक्रिया राशि, अमानत राशि जमा करने का स्थान एवं समय	दिनांक 19/10/2016 दोपहर 03.00 बजे तक कमरा नम्बर–8, भूतल DoIT&C, जयपुर।
तकनीकी बिड खोलने का दिनांक व समय	दिनांक 19/10/2016 दोपहर 03:30 बजे e-Proc Cell, RISL, First Floor, Yojana Bhawan, C-Block, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur-302005 (Rajasthan)
वित्तीय बिड खोलने का दिनांक व समय	तकनीकी सफल निविदादाता को अलग से सूचित किया जाएगा।
निविदा फार्म सामने अंकित वैब साईट से भी डाउनलोड की जा सकती है।	http://eproc.rajasthan.gov.in http://doitc.rajasthan.gov.in http://sppp.raj.nic.in http://dipr.rajasthan.gov.in http://aadhaar.rajasthan.gov.in/
निविदा की वैधता अवधि	निविदा जमा करने की अन्तिम तारीख से 90 दिवस

निविदादाता का नाम :	
निविदादाता द्वारा अधिकृत व्यक्ति का नाम (मोबाईल नम्बर सहित) :	
निविदादाता का पत्र व्यवहार का पता :	
ऑफिस टेलीफोन नम्बर :	
ई–मेल पता :	

Government of Rajasthan
Department of Information Technology & Communication (DoIT & C), Jaipur

विषय सूची

क्रम संख्या	अध्याय	पेज नं.
1.	निविदा आमंत्रण	
2.	निविदा सूचना	
3.	कार्य विवरण	
4.	पात्रता के मापदण्ड (Eligibility Criteria)	
5.	बयाना राशि (Earnest Money Deposit)	
6.	निविदा की विधि	
7.	अपात्रता	
8.	निविदा का मूल्यांकन	
9.	प्रतिभूति राशि एवं निर्णित हर्जाना (Security Deposite and Liquidated Damages)	
10.	सामान्य नियम, शर्तें एवं भुगतान	
11.	निविदा प्रपत्र (Bid Form)	
अनुलग्नक		
1.	तकनीकी निविदा प्रपत्र – प्रपत्र 'अ'	
2.	वित्तीय निविदा – प्रपत्र 'ब'	
3.	शपथ–पत्र – अनुलग्नक 'क'	
4.	करार पत्र – अनुलग्नक 'ख'	

अध्याय–1

निविदा आमंत्रण

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राज्य पंजीयक (आधार परियोजना) के रूप में आधार परियोजना के सफल संचालन के लिए आवश्यक आई.ई.सी./मोनिटरिंग/ फील्ड ट्रेनिंग/सुपरवीजन/पायलेट टेस्टिंग/पी.ओ.सी. हेतु तीन आधार रथों को मासिक किराये के आधार पर लेने हेतु निविदा आमंत्रित करता है। निविदा का उद्देश्य तीन आधार रथों (आई.ई.सी. वाहन) के लिए वार्षिक अनुबन्ध किया जाना है। निविदादाता को आधार रथों (आई.ई.सी. वाहन) सम्बंधित सभी कार्य निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सम्पादित करने होंगे। आधार रथों (वाहन) हेतु स्वीकृत दरें कार्यादेश की तिथि से एक वर्ष तक के लिए विधिमान्य होंगी जिसे आपसी सहमति से 6 माह के लिए और बढ़ाया जा सकता है।

आधार रथों (वाहन) को राज्य के विभिन्न जिलों में आधार परियोजना के आई.ई.सी./मोनिटरिंग/ फील्ड ट्रेनिंग/सुपरवीजन/पायलेट टेस्टिंग/पी.ओ.सी. हेतु प्रयोग में लाया जायेगा।

अध्याय–2

क्रमांक :– F11(326)/DOIT/Project/16 दिनांक :–

निविदा सूचना

सूचना प्रोद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा आधार परियोजना के अन्तर्गत प्रचार–प्रसार हेतु तीन आधार रथों (आई.ई.सी. वाहन) को किराये पर लिये जाने हेतु वार्षिक दर संविदा किये जाने के लिए खुली निविदांए ई–बिड द्वारा आमंत्रित की जाती हैं जिसका विवरण निम्नानुसार हैं :–

कार्य का नाम	आधार रथों (आई.ई.सी. वाहन) हेतु वार्षिक दर संविदा
निविदा प्रपत्र मूल्य (नॉन–रिफण्डेबल)	400/– रूपये राशि डिमांड ड्राफ्ट/बैकर्स चैक अधिसूचित बैंक द्वारा ''शासन सचिव एवं आयुक्त, सूचना प्रोद्यौगिकी और संचार विभाग'' जयपुर के पक्ष में जारी हो।
अनुमानित लागत	रू. 10.00 लाख
अमानत राशि	रू. 20,000/-
आर.आई.एस.एल प्रक्रिया राशि	रू. 500/- राशि डिमांड ड्राफ्ट/बैकर्स चैक अधिसूचित बैंक द्वारा ''प्रबंध निदेशक, आर.आई.एस.एल.'' जयपुर के पक्ष में जारी हो।
निविदा प्रपत्र अपलोड करने की दिनांक व समय	दिनांक 04/10/2016 05:00 बजे
निविदा प्रपत्र विक्रय की आरंभ करने की तिथि व समय	दिनांक 04/10/2016 05:00 बजे से Basement B-3 (लेखा शाखा), DoIT&C से
निविदा प्रपत्र विक्रय की अंतिम तिथि व समय	दिनांक 19/10/2016 दोपहर 03.00 बजे तक Basement B-3 (लेखा शाखा), DoIT&C से
निविदा प्रक्रिया	ई निविदा http://eproc.rajasthan.gov.in के माध्यम से।
निविदा प्रपत्र ऑन लाईन जमा कराने की अंतिम तिथि व समय	दिनांक 19/10/2016 दोपहर 03.00 बजे तक ई–प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल पर
तकनीकी बिड खोलने का दिनांक व समय	दिनांक 19/10/2016 दोपहर 03:30 बजे e-Proc Cell, RISL, First Floor, Yojana Bhawan, C-Block, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur-302005 (Rajasthan)
वित्तीय बिड खोलने का दिनांक व समय	सफल दर संविदादाताओं को अलग से सूचित किया जाएगा।
दर संविदा सूचना प्रकाशित करने की वेबसाइट	http://eproc.rajasthan.gov.in http://doitc.rajasthan.gov.in http://sppp.raj.nic.in http://dipr.rajasthan.gov.in http://aadhaar.rajasthan.gov.in/
निविदा की वैधता	निविदा जमा करने की अंतिम तारीख से 90 दिवस

अमानत राशिडिमांड ड्राफ्ट/बैकर्स चैक अधिसूचित बैंक द्वारा शासन सचिव एवं आयुक्त, सूचना प्रोद्यौगिकी और संचार विभाग जयपुर के पक्ष में जारी हो।

Note:

1. निविदादाता (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) द्वारा निविदा पोर्टल (http://eproc.rajasthan.gov.in) पर अपनी तकनिकी एवं वित्तीय निविदा को ऑन लाईन प्रस्तुत करना होगा लेकिन निविदा प्रपत्र मूल्य, अमानत राशि व आर.आई.एस.एल प्रक्रिया राशि के डिमांड ड्राफ्ट/बैकर्स चैक इस कार्यालय में

उपरोक्तानुसार जमा कराने होंगें एवं सभी डिमांड ड्राफ्ट/बैकर्स चैक की स्केन कॉपी तकनीकी निविदा के साथ (http://eproc.rajasthan.gov.in) ई प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।

2. यदि कोई निविदादाता निविदा प्रपत्र मूल्य, अमानत राशि व आर.आई.एस.एल प्रक्रिया राशि के डिमांड ड्राफ्ट/बैकर्स चैक इस कार्यालय में उपरोक्तानुसार जमा कराने में असक्षम हुआ तो उनकी निविदा निरस्त कर दी जाएगी।
3. निविदादाता को ऑन लाईन निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए डिजिटल सिग्नेचर प्रमाण पत्र (टाइप–3) (जो कि सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट–2000 के अनुसार हो) होना आवश्यक है। जिससे कि डिजिटली साईन निविदा में भाग लिया जा सके। निविदादाता को http://eproc.rajasthan.gov.in पर अपना पंजीकरण करना अनिवार्य है। यदि पंजीकरण दिनांक 30-09-2011 से पूर्व का है तो निविदादाता को पुनः पंजीकरण करना होगा।
4. निविदा में किसी भी प्रकार की देरी के लिए डीओआईटीसी/आर.आई.एस.एल उत्तरदायी नहीं होगा। इस लिए निविदादाता से अनुरोध है कि अपनी निविदा को अंतिम तिथि से पूर्व ही अपलोड करें ताकि इटरनेट की धीमी गति एवं अन्य परेशानियों से बचा जा सके।
5. निविदादाता से अनुरोध है कि वो इस बाबत ई प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल पर उपलब्ध "Bidders Manual Kit" को ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लेवें।
6. निविदादाता को ई टेन्डरिंग हेतु इस कार्यालय द्वारा प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है जिसके लिए इच्छुक निविदादाता द्वारा ई–प्रोक्योरमेन्ट अनुभाग में सम्पर्क किया जा सकता है।

   सम्पर्क सूत्रः–

   Contact No: 0141-4022688 (Help desk 10 am to 6 pm on all working days)

   e-mail: eproc@rajasthan.gov.in

   Address : e-Procurement Cell, RISL, Yojana Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur

7- इस निविदा के लिए RTPP Act 2012 and Rules मान्य होंगें।

शासन सचिव एवं आयुक्त
सूचना प्रोद्योगिकी और संचार विभाग,
योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

अध्याय–3

कार्य का विवरण

निविदा का उद्देश्य राज्य में यू.आई.डी. परियोजना के तहत प्रचार–प्रसार हेतु तीन आधार रथों (आई.ई.सी. वाहन) को कार्यादेश की तिथि से एक वर्ष के लिए किराये पर लेने के लिए दर संविदा अनुबन्ध करना है। उपरोक्त वाहनों द्वारा आधार नामांकन को बढावा देने एवं आधार आधारित सेवाओं को लेने संबंधित विभिन्न पहलुओं का प्रचार–प्रसार करने संबंधित निम्न कार्य किए जाएगें –

1. यू.आई.डी. परियोजना में प्रचार हेतु तीन वाहनों (लगेज कैरियर सहित) ड्राइवर सहित जिस पर लाउडस्पीकर, सी.डी. प्लेयर, बैटरी बैकअप की सुविधा सहित उपलब्ध करवाना।
2- सफल निविदादाता को तीन आधार रथ (वाहन) अनुबन्ध अवधि में स्थाई रूप से विभाग को उपलब्ध कराने होंगे जिसे अनुबन्ध अवधि में बिना अनुमति के बदला नहीं जा सकेगा।
3- सफल निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये गये तीनों आधार रथों (वाहनों) को आधार परियोजना के विज्ञापनों द्वारा ब्राडिंग की जाएगी।
4. यदि संविदादाता द्वारा किसी दिन आई.ई.सी./मोनिटरिंग/ फील्ड ट्रेनिंग/सुपरवीजन/पायलेट टेस्टिंग/पी.ओ.सी. कार्य हेतु वाहन उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो विभाग किसी अन्य स्त्रोत से दूसरा वाहन लेने हेतु स्वतंत्र होगा जिसका खर्चा संविदादाता के बिल में से काटा जायेगा साथ ही संविदादाता पर प्रतिदिन 2000 हजार रूपये की शास्ती आरोपित की जायेगी।
5. उपलब्ध कराये गये आधार रथ (वाहन), निविदादाता द्वारा राजकीय कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य व्यवसायिक गतिविधियों के काम में लिए जाने की सूचना मिलती है तो निविदादाता पर 10,000/– रूपये प्रति प्रकरण की पैनल्टी विभाग द्वारा लगाई जाएगी।
6. आधार रथ (वाहन) को एक महीने में न्यूनतम 2000 किलोमीटर प्रति वाहन चलाया जाना सम्भावित है।
7. निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहन को बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अतिआवश्यक परिस्थितियों में विभाग की अनुमति से वाहन बदलने पर वाहन को प्रचार–प्रसार संबंधित ब्राडिंग में किए गए खर्चे का वहन निविदादाता द्वारा किया जाएगा।
8- प्रत्येक वाहन का भुगतान मासिक औसत के आधार पर किया जायेगा अर्थात 12 माह में न्यूनतम 24000 किलोमीटर का भुगतान किया जायेगा। करार अवधि के अन्तर्गत किसी एक माह में 2000 किलोमीटर से कम वाहन चलने पर अनुपातिक रूप से भुगतान किया जाएगा। करार अवधि में 24000 किलामीटर से अधिक वाहन चलने की स्थिति में प्रति किलोमीटर की स्वीकृत दर से अतिरिक्त भुगतान देय होगा। किसी माह में 2000 कि.मी. से अधिक तय दूरी पर प्रति कि.मी. की दर से भुगतान किया जाएगा।
9- संविदादाता को वाहनों में आई.ई.सी./मोनिटरिंग/फील्ड ट्रेनिंग/सुपरवीजन/ हेतु ध्वनि व्यवस्था का (लाउडस्पीकर) का प्रबन्ध करना होगा। ध्वनि व्यवस्था के लिए कम से कम 100 वॉट क्षमता का

लाउडस्पीकर, सी.डी. प्लेयर उपलब्ध करवाना होगा। इसके 8 घंटे संचालन हेतु बैटरी (यदि आवश्यकता हो तो अतिरिक्त बैटरी) की व्यवस्था भी करनी होगी।

10. आधार रथों (आई.ई.सी. वाहन) को राज्य के विभिन्न जिलों में यू.आई.डी. परियोजना के आई.ई.सी. /मोनिटरिंग/ट्रेनिंग/सुपरवीजन/पायलेट टेस्टिंग/पी.ओ.सी. हेतु विभाग द्वारा दिये गए निर्देश के अनुसार प्रयोग में लाया जायेगा। वाहन महत्त्वपूर्ण जगहों पर रुक कर विभाग द्वारा उपलब्ध करवायी गई आई.ई.सी. सामग्री (ऑडियो) को लाउडस्पीकर द्वारा बजाकर कर परियोजना के बारे में लोगों को अवगत करायेगा व आई.ई.सी. सामग्री का वितरण भी करेगा। आवश्यक परिस्थितियों में वाहन को राज्य से बाहर विशेषतः दिल्ली भी ले जाया जा सकता है जिसके लिए टोल–टैक्स एवं परमिट पर देय राशि का अलग से भुगतान किया जाएगा।
11. निर्धारित स्थलों/क्षेत्रों में आधार नामांकन की आवश्यकता, नामांकन के लिए आवश्यक दस्तावेज, नामांकन केन्द्रों की जानकारी आदि विषयों पर विभाग द्वारा उपलब्ध करवाए गए Pre Recorded Message चला कर प्रचार–प्रसार करेगा।
12. आधार नामांकन एवं अन्य संबंधित सेवाओं के लिए उपलब्ध करवाए गए प्रचार–प्रसार सामग्री का वितरण एवं प्रदर्शन (डिसप्ले) करेगा।
13. आधार रथ सभी कार्य दिवसों एवं आवश्यकतानुसार राजपत्रित अवकाशों पर भी प्रचार–प्रसार एवं मोनिटरिंग आदि के लिए प्रयोग लाया जाएगा।
14. आधार संबंधित सेवाओं यथा सर्वश्रेष्ठ फिंगर जांच (बीएफडी), प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना का क्रियान्वयन, ई–केवाईसी और वित्तीय समावेशन सेवा, ई आधार, आधार नामांकन का स्टेटस आदि की टेस्टिंग/डैमोन्स्ट्रेशन के लिए विभिन्न क्षेत्रों में वाहन को ले जाएगा। ऐसी स्थिति में वाहन के आवागमन एवं विराम (रात्रि विश्राम के अलावा) के दौरान प्रचार–प्रसार संबंधित माइकिंग भी करेगा।
15. तीनों आधार रथों पर आधार परियोजना से संबंधित इस विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गए स्टीकर आदि स्थाई रूप से चिपकाएं जायेंगे। विभाग द्वारा समय–समय पर उपलब्ध कराये गए फ्लैक्स, बैनर इत्यादि को भी वाहन पर स्थापित करना होगा। उक्त प्रचार सामग्री के उपयोग के दौरान अथवा पश्चात यदि वाहन का रंग, बॉडी आदि क्षतिग्रस्त होने पर विभाग की इस विषय में कोई जवाबदेही नहीं होगी तथा सफल निविदादाता को इस विभाग के द्वारा कोई क्षतिपूर्ति नहीं की जायेगी।
16. सफल निविदादाता को विभाग के साथ यह अनुबन्ध करना होगा कि वह उक्त आधार रथों को आधार परियोजना के प्रचार–प्रसार के अतिरिक्त अन्य किसी उपयोग में नहीं लेगा।
17. निविदादाता द्वारा एक टोयोटा इनोवा/शेवरोले टवेरा/मारूति अर्टिगा/महिन्द्रा जाइलो (7 सीटर) एवं दो स्वीफ्ट डिजायर/टोयोटा इटियोस (5 सीटर) जिनका रजिस्ट्रेशन निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि को चार वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये तथा जिनका रजिस्ट्रेशन टेक्सी परमिट श्रेणी में हो। इसके लिए संविदादाता को निविदा प्रपत्र के साथ वाहन के रजिस्ट्रेशन एवं वाहन से सम्बंधित वाहन का फिटनेस प्रमाण–पत्र, वाहन का प्रथम पार्टी बीमा, रोड टैक्स जमा होने सम्बंधित दस्तावेज

(रसीद) और वाहन चालक का वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाईसेंस की स्व–सत्यापित प्रतिलिपि जमा करानी होगी। उक्त कागजातों के अभाव में प्रस्तुत निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। सफल निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये गये आधार रथों का इस कार्यालय द्वारा भौतिक सत्यापन कराया जायेगा और कोई भी वाहन खराब स्थिति में पाया जाता है तो उस के स्थान पर नया वाहन उपलब्ध कराना होगा उक्त शर्त में विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

18. यदि सफल निवेदक (एल–1) द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहन खराब स्थिति में पाया जाता है और उस के स्थान पर दो दिन में नया वाहन उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो विभाग अन्य निवेदक (एल–2 / एल–3) से भी एल–1 की दर मैच करने पर वाहन लेने के लिए स्वतंत्र होगा।
19. वाहनों से संबंधित वैध पंजीयन प्रमाण पत्र, रोड टैक्स, फिटनेस प्रमाण–पत्र, बीमा आदि निविदादाता / वाहन मालिक के नाम होने चाहिए जिनकी स्व–सत्यापित प्रतिलिपियाँ निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। यदि ये प्रमाण–पत्र निविदादाता के नाम नहीं है तो निविदादाता द्वारा उक्त दस्तावेज सम्बन्धित वाहन मालिकों से प्राप्त कर निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
20. वाहनों की आपूर्ति के लिए निविदादाता को वाहन मालिक से इस बाबत मुख्तयारनामा / करार पत्र / लीज डीड की प्रति निविदा के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
21. संविदादाता को सुनिश्चित करना होगा कि ड्राइवर के पास एक वैध लाइसेंस तथा वाहन से संबंधित अन्य कागजात हो और वो वाहन चलाने में दक्ष हो, समुचित रूप से शिक्षित हो तथा यातायात के नियम एवं राज्य के रास्तों से भली–भाँति परिचित हो।

22- वाहनों के लिये ईंधन व ईंधन से सम्बन्धित अन्य सभी संसाधनों / मरम्मत / संचालन इत्यादि की जिम्मेदारी स्वयं निविदादाता की होगी। इनका सम्पूर्ण व्यय निविदादाता को वहन करना होगा विभाग द्वारा अनुबंध में अंकित किराये के अतिरिक्त अन्य कोई व्यय वहन नहीं किया जायेगा (ईंधन के मूल्य में परिवर्तन निविदादाता को वहन करना होगा)। वाहन में समस्त प्रकार की, छोटी–मोटी / बड़ी मरम्मत तुरंत प्रभाव से करानी होगी।

23. आधार रथों (वाहन) को समस्त दिवसों रविवार एवं अन्य राजपत्रित अवकाशों को समाहित करते हुए महिने में 26 दिन काम में लिया जायेगा। सामान्यतया प्रातः 9.00 बजे से 8.00 बजे तक वाहन के द्वारा आई.ई.सी. / मोनिटरिंग / फील्ड ट्रेनिंग / सुपरवीजन / पायलेट टेस्टिंग / पी.ओ.सी. का कार्य किया जायेगा किन्तु आवश्यकता होने पर इस समय के अतिरिक्त एवं अवकाश अवधि में भी वाहन को प्रचार–प्रसार का कार्य सौंपा जा सकता है। जिसके लिए अलग से कोई भुगतान देय नहीं होगा।
24. ड्राइवर के पास मोबाइल फोन की उपलब्धता होनी चाहिए जिसका नम्बर विभाग को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।
25. गलत तरीके से वाहन चलाने की वजह से या फिर गलत पार्किंग की वजह से होने वाले ट्रैफिक चालान अथवा मोटर वेहिकल एक्ट के उल्लंघन का समस्त दायित्व भी सविदादाता का होगा।

26. टोल टैक्स एवं पार्किंग फीस का निविदादाता को सम्बन्धित रसीद जमा कराने पर विभाग द्वारा भुगतान देय होगा।
27. वाहनों के किराये का भुगतान मासिक रूप से किया जायेगा। वाहनों की लॉग बुक की पूर्ण प्रविष्टियों के लिये एवं यात्रा सत्यापन के लिये वाहन चालक जिम्मेदार होगा। लॉग बुक की समस्त प्रविष्टियां सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित होनी आवश्यक है। इकजाई रूप से किराये का मासिक भुगतान बिल सत्यापित लॉग बुक के आधार पर बनाकर प्रस्तुत करना होगा। वाहन के लिये खाली लॉग बुक विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं करायी जावेगी।
28. आधार रथों राज्य के विभिन्न जिलों के दूर–दराज के इलाकों में प्रचार एवं प्रसार के लिए जाएगा। आवश्यकता होने पर वाहन को अन्य जिलों में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के जिला अधिकारियों तथा अन्य प्राधिकृत व्यक्तियों के निर्देशन में जिलों के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में भी प्रचार–प्रसार का कार्य करना होगा। ऐसे स्थानों पर वाहन चालक को रुकने तथा खाने पीने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी जिसका कोई अतिरिक्त भुगतान इस विभाग के द्वारा नहीं किया जायेगा।
29. वाहन चालक द्वारा प्रचार प्रसार के समय विभाग के अधिकारी/कर्मचारी अथवा विभाग द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रचार प्रसार सम्बन्धित दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करना होगा।

अध्याय–4

पात्रता के मापदण्ड

क्रम संख्या	आधारभूत आवश्यकता	विशिष्ट आवश्यकता	आवश्यक दस्तावेज
1.	लीगल एंटीटी	कम्पनी एक्ट, 1956 के तहत पंजीकृत कम्पनी अथवा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 अथवा प्रोपराईटी फर्म जो कि राज्य/संघ के समान एक्ट के तहत पंजीकृत हो/कमर्शियल वाहन मालिक.	सम्बंधित पंजीकरण प्रमाण–पत्र/स्वयं का घोषणा पत्र
2.	तकनीकी योग्यता	पिछले दो वर्षों में (निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक से) में न्यूनतम 10 लाख रूपये का कार्य (प्रचार प्रसार हेतु वाहन उपलब्ध कराना अथवा वाहन चालन) किया हो तकनीकी योग्यता से सम्बन्धित प्रमाण अनुलग्नक 'अ' के अनुसार	कार्य आदेश की प्रति एवं संतोषप्रद कार्य पूर्णता प्रमाण–पत्र/सम्बंधित संस्थान से समान मूल्य का कार्य सम्पादन का प्रमाण–पत्र/संस्थान से भुगतान संबंधी प्रमाण
4.	ब्लैक लिस्टिंग	ब्लैक लिस्टिंग नहीं होने का अंडरटेकिंग	अनुलग्नक 'क' के अनुसार अंडरटेकिंग
5.	सर्विस टैक्स	सर्विस टैक्स प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)	प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि
6.	वाहन रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा जारी वाहन का कामर्शियल रजिस्ट्रेशन	वाहन रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र प्रतिलिपि
7	अन्य दस्तावेज	पैन नम्बर, फिटनेस प्रमाण–पत्र, वाहन का प्रथम पार्टी बीमा, रोड टैक्स जमा होने सम्बंधित दस्तावेज (रसीद) और वाहन चालक का वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाईसेंस	प्रमाण–पत्र प्रतिलिपि

अध्याय–5
बयाना राशि (Earnest Money)

(क) प्रत्येक निविदादाता को निविदा सूचना में निर्धारित बयाना राशि निविदा के साथ जमा करवानी होगी जिसके बिना निविदा निरस्त कर दी जावेगी।

(ख) बयाना राशि बैंकर्स चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा ही स्वीकार की जावेगी।

(ग) बयाना राशि असफल निविदादाताओं को सफल निविदादाता को कार्य–आदेश दिये जाने के उपरांत लौटा दी जावेगी।

(घ) विभाग द्वारा निविदादाता द्वारा किसी अन्य निविदा के लिये जमा करायी गई बयाना राशि को इस निविदा के लिये समायोजित नहीं किया जावेगा।

(ङ) निम्न स्थितियों में बयाना राशि जब्त कर ली जावेगी :–

1. जब निविदादाता निविदा को खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार किये जाने से पूर्व अपने प्रस्ताव को वापिस लेता है या उसमें रूपान्तरण करता है।
2. यदि वह विनिर्दिष्ट समय के भीतर करार का निष्पादन नहीं करता है।
3. जब विहित समय के भीतर मदों का प्रदाय करने में असफल रहता है।
4. जब निविदादाता क्रय आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है।

अध्याय–6
निविदा की विधि

1. निविदा प्रपत्र सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग योजना भवन के कमरा नम्बर 301 तृतीय तल से निविदा में अंकित समय व दिनांक तक निर्धारित राशि जमा करवाकर प्राप्त किया जा सकता है। वेबसाइट से निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने पर टेंडर मूल्य नकद/बैंकर्स चैक/ड्राफट द्वारा जमा कराना अनिवार्य है।

2. निविदा के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज :–

निविदा एक स्टेज में दो भागों में प्रस्तुत की जावेगी। इनमें एक भाग तकनीकी निविदा से सम्बंधित तथा दूसरा भाग वित्तीय निविदा से सम्बंधित होगा।

(क) निविदादाता को अपनी निविदायें ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल http://eproc.rajasthan.gov.in पर ऑनलाईन जमा करवानी होंगी।

ख) अपलोड किये गए समस्त प्रपत्र अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा डीएससी के माध्यम में डिजीटल साईन होने चाहिए।

ग) निविदा प्रक्रिया एक चरणीय – दो भागों में पूर्ण होगी–
1) तकनीकी निविदा, तकनीकी दस्तावेज शुल्क विवरण सहित ।
2) वित्तीय निविदा।

घ) तकनीकी निविदा में निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए –

क्र. सं.	दस्तावेज का प्रकार	दस्तावेज का प्रारूप
शुल्क का विवरण		
1.	निविदा प्रपत्र शुल्क (निविदा शुल्क)	निविदा जमा कराने का प्रमाण (पीडीएफ)
2.	आर.आई.एस.एल. प्रोसेसिंग फीस (ई–प्रोक्योरमेंट)	रसीद/डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चैक/ जमा कराने का प्रमाण (पीडीएफ)
3.	अमानत राशि	रसीद/डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चैक/ जमा कराने का प्रमाण (पीडीएफ)
योग्यता दस्तावेज		
4.	योग्यता हेतु समस्त दस्तावेज जो कि ''योग्यता मानदंड'' में अंकित किए गए हों।	प्रारूप के अनुसार योग्यता हेतु समस्त दस्तावेज जो कि ''योग्यता मानदंड'' में अंकित किए गए हों। (पीडीएफ)

च) वित्तीय निविदा में निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए –

S. No.	Documents Type	Document Format
1.	वित्तीय निविदा – प्रारूप	BoQ (.XLS) के अनुसार प्रारूप ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर उपलब्ध है।

छ) निविदादाता को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि निविदा प्रपत्र, निर्धारित निविदा प्रारूप में ही जमा करवाया जावे। आवश्यक दस्तावेजों का जमा नहीं करवाया जाना अथवा निर्धारित प्रारूप से अन्य प्रारूप में जमा करवाने की दशा में निविदादाता द्वारा जमा करवायी गई निविदा को अस्वीकार किया जा सकता है।

निविदा लागत और भाषा

(क) निविदा तैयार करने एवं जमा कराने सम्बंधित समस्त खर्चे निविदादाता द्वारा वहन किये जावेंगे। इन खर्चों के सम्बन्ध में विभाग किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होगा।

(ख) निविदा एवं उससे सम्बंधित सभी दस्तावेज जो इस निविदा का भाग है, देवनागरी या अंग्रेजी लिपि में प्रस्तुत किये जावेंगे।

वैकल्पिक निविदा

वैकल्पिक निविदा किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जावेगी।

निविदा मूल्य

(क) निविदा में अंकित मूल्य अंतिम होगा इसमें किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

(ख) सभी दरें/मूल्य भारतीय मुद्रा (रूपये) में अंकित की जावेंगी जिन्हें शब्दों एवं अंकों में स्पष्ट रूप से लिखा जावेंगा। इनमें भिन्नता होने पर दोनों में जो कम होगा उसे माना जावेगा।

(ग) वित्तीय निविदा (ई–प्रोक्योरमेंट के माध्यम से जमा करवाई जानी है) में निर्धारित मदों से भिन्न किसी भी मद के लिये मूल्य स्वीकार नहीं किया जावेगा। वित्तीय निविदा के प्रारूप में परिवर्तन किये जाने पर निविदा अस्वीकार कर दी जावेगी।

(घ) वित्तीय निविदा में अंकित दरें/मूल्य निविदा का कुल मूल्य होंगी। छूट,यदि कोई है, तो उसे अंकित दर/मूल्य में सम्मिलित किया जाना चाहिये।

3. निविदा की वैधता :–

(क) निविदा जमा कराने की अंतिम तिथि से 90 दिनों के लिये वैध होगी। इससे कम अवधि के लिये वैध निविदाऐं अस्वीकृत कर दी जावेगी।

(ख) विशेष परिस्थितियों में निविदा वैधता अवधि समाप्त होने से पूर्व निविदाकर्ता निविदादाताओं से निविदा वैधता अवधि में वृद्धि करने के लिये आग्रह कर सकता है। ऐसा आग्रह एवं प्रत्युत्तर लिखित में होगा।

5. निविदा खोलना

(क) तकनीकी निविदा निविदा सूचना में निर्धारित समय एवं तिथि के अनुसार ई–प्रोक्योरमेंट के माध्यम से खोली जावेगी। इच्छुक निविदादाता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि निविदा खोलने के समय उपस्थित रह सकते हैं। तकनीकी निविदा एक–एक करके खोली जावेंगी एवं निविदा मूल्य, धरोहर राशि एवं अन्य कोई विवरण निविदाकर्ता द्वारा आवश्यक समझा जाने पर सभी को पढकर सुनाया जावेगा। तकनीकी सफल निविदादाता को अलग से सूचित कर वित्तीय निविदाऐं खोली जायेंगी।

(ख) निविदा दो भागों में प्रस्तुत (ई–प्रोक्योरमेंट के माध्यम से) की जायेगी जिसमें से एक भाग में ''तकनीकी बिड'' होगी, इसमें निविदा फार्म, **प्रपत्र 'अ',** फर्म से संबंधित प्रमाण पत्र, दर संविदा फार्म एवं वांछित समस्त प्रमाण पत्र तथा अमानत राशि की सूचना पत्रादि बन्द हो तथा दूसरे भाग में "वित्तीय बिड" होगी।, में दरों का **प्रपत्र 'ब'** बन्द होना चाहिए।

(ग) विभाग द्वारा सर्वप्रथम तकनीकी बिड खोली जावेगी। जिसमें निम्नांकित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे :–

i. निविदा फार्म (मय हस्ताक्षर व मोहर)।

ii. वाहन से संबंधित विवरण (प्रपत्र 'अ' में) के आवश्यक बिल/दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियाँ प्रपत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

iii. निविदाता यदि फर्म/कम्पनी है तो अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि, जो इस दर संविदा के लिये विशेष रूप से फर्म/कम्पनी द्वारा अधिकृत किया गया है। उसका नाम, पता तथा फर्म/कम्पनी में उसकी स्थिति (Status) का उसके हस्ताक्षर प्रमाणित करते हुए स्पष्ट उल्लेख करेगा। विभाग अन्य किसी से इस संबंध में सम्पर्क नहीं करेगा।

तकनीकी योग्यता नहीं रखने वाली फर्मो की वित्तीय बिड नहीं खोली जावेगी। तकनीकी योग्यता रखने वाली फर्मो द्वारा दी गई जानकारी का सत्यापन आवश्यकता होने पर विभागीय समिति द्वारा किया जा सकता है। निरीक्षण की स्थिति में यदि कोई तथ्य गलत पाया जाता है तो उस फर्म की तकनीकी निविदा को रद्द कर दिया जावेगा।

हितों का टकराव :–निविदादाता उपापन के उच्च नैतिक मूल्यों का पालन करेगा। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा हितों के टकराव के लिये निर्धारित मापदण्डों का उल्लंघन पाये जाने पर समुचित कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र होगा।

गोपनीयता :–निविदा से सम्बंधित सभी सूचनाऐं जैसे मूल्यांकन, तुलना एवं संविदा की अनुशंसा सम्बधित सूचनाऐं निविदादाता या अन्य किसी व्यक्ति, जो निविदा की प्रक्रिया से अधिकारिक रूप से सम्बंधित ना हो, को संविदा किये जाने से पूर्व गोपनीय रखी जावेंगी। किसी संविदादाता द्वारा इसके विपरीत कार्य करने पर उसकी निविदा निरस्त की जा सकती है। इस सम्बन्ध में कोई भी आग्रह लिखित में ही किया जाना चाहियें।

निविदा से सम्बंधित स्पष्टीकरण :–

(क) निविदा से सम्बंधित किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिये निविदा जमा कराने की अंतिम तिथि एवं समय से पूर्व क्रय प्राधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है।

(ख) क्रय अधिकारी के द्वारा निविदा के मूल्यांकन, तुलना एवं योग्यता सम्बंधित स्पष्टीकरण लिखित में निविदादाता से मांगा जा सकता है जिसे निर्धारित समयावधि में लिखित में मय अधिकृत प्राधिकारी के हस्ताक्षरों सहित उपलब्ध न कराने पर निविदा निरस्त की जा सकती है।

(ग) वित्तीय निविदा उद्धत मूल्य से सम्बंधित स्पष्टीकरण स्वीकार्य नहीं होगा। वित्तीय निविदा में गणनात्मक त्रुटि पाये जाने पर शब्दों में अंकित मूल्य को अंतिम माना जावेगा। गणितीय त्रुटियों को क्रय अधिकारी द्वारा ठीक किया जा सकता है।

मूल्य नेगोसियेशन (बातचीत) :– क्रय अधिकारी द्वारा निविदादाताओं के साथ किसी भी प्रकार का मूल्य नेगोसियेशन (बातचीत) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के अन्तर्गत ही की जा सकेगी।

निविदा की संवीक्षा व मूल्यांकन :– निविदा की संवीक्षा, मूल्यांकन और संविदा देने की प्रक्रिया यथासंभव उस अवधि के भीतर–भीतर पूरी की जायेगी जिसके लिये निविदाओं को वैध माना गया है।

निविदा आमंत्रित करने वाला प्राधिकारी, निविदाओं पर आदेश पारित हो जाने पर निविदा मूल्यांकन की प्रक्रिया की गोपनीयता सुनिश्चित करेगा।

निविदा आमंत्रित करने वाला प्राधिकारी, निविदाओं के मूल्यांकन के दौरान निविदाकारों से उनके द्वारा प्रस्तुत निविदा के सम्बन्ध में सद्भावी स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है।

यदि सफल निविदादाता अपेक्षित मात्रा में आधार रथों का प्रदाय करने की स्थिति में नहीं होगा तो क्रय समिति द्वारा द्वितीय न्यूनतम दर वाले निविदादाता को न्यूनतम प्राप्त दरों से अपनी दरों को मैच करने के लिए अवसर दिया जावेगा तथा दर मैच होने पर द्वितीय न्यूनतम दर वाले निविदादाता की दरों का भी अनुमोदन किया जा सकता है।

पुनः निविदा :– बाजार दरों की अपेक्षा में अधिक मूल्य उद्धत होने पर जिसके कारण सरकार को आर्थिक क्षति की सम्भावना हो विभाग पुनः निविदा के लिये स्वतंत्र होगा।

निर्धारित दिनांक एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाली निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।

अध्याय–7

अपात्रता

निविदाएं निम्न कारणों से अपात्र घोषित की जा सकती है :–

1. निविदा सूचना में प्रकाशित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त हुई निविदाएं।
2. बिना निविदा मूल्य एवं बयाना राशि के जमा निविदाएं। यदि उक्त हेतु छूट चाही गयी है तो इसके लिये पात्रता साबित करने के लिये आवश्यक प्रपत्र / दस्तावेजों की स्वसत्यापित प्रतियों के बिना प्राप्त निविदायें।
3. वांछित दस्तावेजों के अभाव में प्रस्तुत की हुई अपूर्ण निविदायें।
4. भ्रामक अथवा गलत तथ्य / दावे प्रस्तुत करने वाली निविदायें।
5. खराब कार्य यथा किसी अनुबन्ध को बीच में छोडना, खराब कार्य हेतु रिकॉर्ड उपलब्ध होना इत्यादि, अकारण देरी, कार्य / आदेशों की अपालना / देरी (एकाधिक बार), वित्तीय असफलता।
6. विभाग द्वारा चाहे गये स्पष्टीकरण को न प्रदान कर पाना / तय समय से देरी प्रदान करना।
7. एक से ज्यादा निविदाएं प्रस्तुत करना। ऐसा होने पर फर्म द्वारा भरी गयी समस्त निविदाएं तकनीकी मूल्यांकन में निरस्त की जा सकेंगी।
8. अपूर्ण व सशर्त निविदा प्रस्तुत करना।
9. तकनीकी अर्हताओं का पूर्ण न कर पाना।
10. निविदादाता अथवा उसके किसी प्रतिनिधि का अवांछित रूप से प्रभाव डालना /डलवाना, विवाद इत्यादि करना, रिश्वत इत्यादि का प्रस्ताव करना अथवा गैर कानूनी रूप से तुष्टिकरण करना।
11. अल्प वैधता वाली निविदा प्रस्तुत करना।

अध्याय–8

निविदा का मूल्यांकन

मूल्यांकन/चयन विधि

(क) सफल दर निविदादाता का चयन न्यूनतम दर विधि से किया जायेगा। L1 फर्म सफल निविदादाता होगी।

(ख) न्यूनतम दरें एक से अधिक निविदादाताओं की समान होने पर नवीनतम पंजीकृत वाहन के निविदादाता को प्राथमिकता दी जायेगी।

अध्याय–9

प्रतिभूति राशि एवं निर्णित हर्जाना

a. प्रतिभूति राशि कार्य की अनुमानित लागत की 5 प्रतिशत ली जायेगी। सफल निविदादाता को कार्य आदेश के 15 दिवस के भीतर प्रतिभूति राशि जमा करवाकर विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रपत्र में करार सम्पादित करना होगा (अनुलग्नक 'ख' के अनुसार)। ऐसा नहीं करने पर विभाग कार्य आदेश निरस्त कर निविदादाता के विरूद्ध निविदा में विहित शर्तों एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 एवं सामान्य वित एवं लेखा नियमों के अनुसार अन्य दण्डात्मक कार्यवाही कर सकेगा।

b. प्रतिभूति राशि निम्नलिखित किसी एक रूप में दी जावेगी :–

1. शीर्ष ''8843–सिविल डिपोजिट–103–प्रतिभूति निक्षेप'' के अन्तर्गत जमा कराये गए ट्रेजरी चालान के माध्यम से नकद,

2. किसी शिड्यूल्ड बैंक का बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चैंक,

3. डाक घर की बचत बैंक पास बुक,

4. राजस्थान में किसी डाक घर द्वारा जारी किए गए अल्प बचत के प्रोत्साहन हेतु राष्ट्रीय बचत योजना के अन्तर्गत प्रतिरक्षा बचत प्रमाण–पत्र, किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत प्रमाण–पत्र या किसी अन्य स्क्रिप्ट/विलेख के रूप में बशर्ते कि वह सुसंगत नियमों के अधीन गिरवी (Pledge) रखी जा सकती हैं। वे निविदा के समय उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार किए जाएंगे तथा हैड पोस्ट मास्टर की स्वीकृति से, निविदाऐं प्रस्तुत करने से पूर्व क्रेता अधिकारी के नाम पर औपचारिक रूप से स्थानान्तरित किए जाएंगे।

5. **प्रतिभूति राशि का समापहरण :–** निम्नलिखित मामलों में प्रतिभूति राशि का समपहृत कर लिया जाएगा :–

1. जब संविदा में किन्हीं निबंधनों और शर्तो का उल्लंघन किया गया हो,

2. जब निविदादाता सम्पूर्ण प्रदाय संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहता हो,

3. जमा कराई गई प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत की गई राशि सम्बंधित विभाग के शीर्ष ''अन्य प्राप्तियों में जमा करायी जाएगी तथा अन्तरण प्रविष्टि की व्यवस्था के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

4. प्रतिभूति निक्षेप का प्रतिदाय :– अनुबन्ध की अवधि समाप्त होने के एक माह पश्चात प्रतिभूति निक्षेप निविदादाता को लौटा दिया जावेगा।

c. प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

अध्याय–10

सामान्य नियम, शर्तें एवं भुगतान

सामान्य नियम व शर्तें :–

a. पैन नम्बर, सर्विस टैक्स पंजीकरण प्रमाण–पत्र :– कोई भी निविदादाता जिसके पास वैध पैन/टिन नम्बर/सर्विस टैक्स नम्बर (यदि लागू हो) न हो निविदा में भाग नहीं ले सकेगा। उक्त प्रमाण–पत्र के बिना निविदा अस्वीकार कर दी जावेगी।
b. निविदा सूचना में प्रकाशित सभी शर्ते इस दर संविदा का भाग मानी जावेगी। निविदा का उद्देश्य आधार रथों (वाहनों) का एक वर्ष के लिए अनुबन्ध किया जाना है।
c. केवल निविदा फार्म के साथ संलग्न प्रपत्र 'ब' में ही मुद्रक अपनी दरें दर्शाएँ। वित्तीय निविदा के अतिरिक्त दी गई दरें मान्य नहीं होंगी। प्रपत्र ब में दी गई दरें शब्दों एवं अंकों में स्पष्ट अंकित करे तथा इसमें कोई कटिंग नहीं होनी चाहिए।
d. निविदादाता दर संविदा कार्य तथा शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा दर संविदा के अंतिम पृष्ठ पर सभी शर्तो को सम्पूर्ण रूप से स्वीकार करने की सहमति देते हुए अलग से हस्ताक्षर करेगा। निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर तकनिकी निविदा लिफाफे में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। इसके अभाव में निविदादाता की निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
e. वित्तीय निविदा में किसी प्रकार की काँट छाँट व ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। यदि कोई संशोधन किया जावे तो पुनः स्पष्ट अक्षरों में लिखा जाकर इस पर अपने लघु हस्ताक्षर करने होंगे।
f. किसी भी निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार शासन सचिव एवं आयुक्त सूचना प्रोद्योगिकी और संचार विभाग, राज. जयपुर को होगा।
g. बिलों का भुगतान विभाग द्वारा मासिक आधार पर किया जाएगा।
h. आधार रथ (वाहन) कार्य के लिए प्रस्तुत बिलों का भुगतान विभाग द्वारा बिल प्रस्तुत करने की अवधि से एक माह में करने का प्रयास करेगा। किन्तु यदि किसी विशेष परिस्थिति में एक माह से अधिक समय लगता है तो उस दशा में फर्म को भुगतान योग्य राशि पर किसी प्रकार का ब्याज या अन्य प्रकार का कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा।
i. आधार रथ (वाहन) एवं अन्य मदों (ड्राइवर, सी.डी. प्लेयर, बैटरी, बीमा आदि) की दरों में वृद्धि होने पर फर्म को कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।
j. आधार रथ पर स्थापित किए गए फ्लैक्स/बैनर इत्यादि से यदि वाहन के रंग या बॉडी के नुकसान होने पर विभाग की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी।
k. संवेदक को किसी भी प्रकार का कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा। प्रत्येक माह का कार्य संतोषप्रद रूप से पूर्ण होने के बाद भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।
l. निर्धारित समय में कार्य सम्पन्न नहीं करने पर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार लिक्विडेटेड डेमेज की राशि वसूल की जावेगी।
m. सफल दर निविदादाता के पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से असफल रहने पर अथवा कार्य संतोषजनक नहीं करने पर शासन सचिव एवं आयुक्त सूचना प्रोद्योगिकी और संचार विभाग, राज. जयपुर को यह अधिकार होगा कि अनुमोदित फर्म के हर्जे खर्चे पर अन्य व्यवस्था द्वारा आधार रथ (वाहन) अन्य फर्म से ले सकेंगे। इसके साथ ही अमानत/प्रतिभूति राशि आंशिक या पूर्ण रूप से जब्त कर ली जावेगी।
n. टैक्स एवं ड्यूटीजः– आयकर, सर्विस टैक्स, आदि की नियमानुसार कटौती कर भुगतान किया जावेगा।
o. सफल दर निविदादाता द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर अथवा किसी भी शर्त को पूर्ण नहीं करने पर शासन सचिव एवं आयुक्त सूचना प्रोद्योगिकी और संचार विभाग,

राज. जयपुर को यह अधिकार होगा कि कार्य हेतु दिये गये आदेशों को रद्द करते हुए दर संविदादाता की प्रतिभूति राशि आंशिक या पूर्ण रूप से जब्त कर ले।

p. किसी भी उत्पन्न विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र, जयपुर (राजस्थान) होगा। विवाद के निर्णय के लिये मध्यस्थ आर्बिट्रेटर एक्ट, 1996 के अनुसार होगा।

q. निविदादाताओं को उपरोक्त वर्णित शर्तों में कोई बदलाव की अनुमति नहीं है। राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 एवं सामान्य वित एवं लेखा नियम (पार्ट II) में विनिर्दिष्ट निविदा की सामान्य शर्ते (संलग्न) निविदा की शर्तों का भाग होगा।

r. यदि प्रदायकर्ता किसी बाधा के घटित होने के कारण संविदा के अन्तर्गत प्रदाय को पूरा करने के लिए समय की वृद्धि करने की अपेक्षा करता हो तो वह बाधा के घटित होने पर समय वृद्धि हेतु लिखित में आवेदन करेगा लेकिन प्रदाय के पूर्ण होने की नियत तारीख के बाद ऐसा निवेदन नहीं करेगा।

क्रेता अधिकारी परिनिर्धारित नुकसानी के साथ या परिनिर्धारित नुकसानी के बिना परिदान अवधि में वृद्धि ऐसे मामले में कर सकेगा जिसमें वह इससे सन्तुष्ट हो जाये कि माल के प्रदाय में विलम्ब उन बाधाओं के कारण हुआ है। इन कारणों को अभिलेखित किया जाएगा।

परिदान अवधि में वृद्धि :— परिनिर्धारित नुकसानी के साथ परिधान अवधि में वृद्धि किये जाने के मामलें में निविदादाता जिन सामानों को प्रदाय करने में असफल रहा है, उनके मूल्य के निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर वसूली की जावेगी।

(क)	विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए	2.5 प्रतिशत
(ख)	एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु आधी अवधि से अनधिक के लिए	5.0 प्रतिशत
(ग)	आधी अवधि से अधिक किन्तु 3 चौथाई अवधि से अनधिक के लिए	7.5 प्रतिशत
(घ)	विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई अवधि से अधिक के विलम्ब के लिए	10.0 प्रतिशत

s. माह के जिन दिनों मे ंफर्म आधार रथ (वाहन) अथवा सम्बन्धित मदों को उपलब्ध करवाने में असफल रहने पर निम्न शास्ति आरोपित की जाएगी।

(क) वाहन खराब होने/वाहन चालक के न होने या अन्य कोई अनाधिकृत कारण (बिना अनुमति के अनुपस्थिति इत्यादि) जिससे प्रचार प्रसार का कार्य निष्पादित नहीं हो सका — 2000 रु प्रतिदिन प्रति वाहन।

(ख) लाउडस्पीकर/सी.डी. प्लेयर के खराब होने पर — 300 रु प्रतिदिन प्रति वाहन।

(ग) शास्ति की उच्चतम सीमा अनुबंध अवधि में अनुबंध राशि की 10 प्रतिशत होगी। अनुबंध अवधि में वाहन के 20 दिवस से अधिक अनाधिकृत कारण के अनुपस्थित रहने एवं लाउडस्पीकर/सी.डी.प्लेयर खराब रहने पर अनुबंध निरस्त करने के लिए विभाग स्वतंत्र होगा।

Government of Rajasthan

Department of Information Technology & Communication (DoIT & C), Jaipur

अध्याय–11

निविदा प्रपत्र

निविदा फार्म विक्रय की अंतिम तिथि – 19/10/2016 **दोपहर** 03.00 बजे तक

निविदा फार्म ऑन लाईन जमा कराने की अंतिम तिथि – 19/10/2016 **दोपहर** 03.00 बजे तक

कार्य की अनुमानित लागत रूपये 10.00 लाख

अमानत राशि 20000 /– रूपये

निविदा प्रपत्र शुल्क 400/– रूपये

निविदा फार्म

आधार रथों (वाहन) हेतु निविदा प्रारूप

1. आधार रथों (वाहन) के लिए दर संविदा हेतु निविदा ।
2. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम ....
   डाक का पता एवं टेलीफोन नं. ....
3. जयपुर सम्पर्क कार्यालय का पता (यदि हो तो)
   ....
4. किसको संबोधित किया गया – शासन सचिव एवं आयुक्त सूचना प्रोद्योगिकी और संचार विभाग, राज. जयपुर।
5. निविदा सूचना संदर्भ ....
6. निविदा फार्म शुल्क डिमांड ड्राफ्ट/बैकर्स चैक/नकद राशि रसीद संख्या ....दिनांक .... द्वारा जमा करा दी गई है।
7. हम शासन सचिव एवं आयुक्त सूचना प्रोद्योगिकी और संचार विभाग, राज. जयपुर द्वारा जारी की गयी निविदा सूचना संख्या .... दिनांक ....में वर्णित शर्तो से तथा संलग्न शीट में दी गयी उक्त दर संविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते हैं (इनके सभी पृष्ठों पर उनसे उल्लेखित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण स्वरूप हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं)।
8. निविदा फार्म के साथ संलग्न प्रपत्र 'ब' में आई.ई.सी. वाहन संबंधी दरें सभी शुल्क सहित अंकित है।
9. आई.ई.सी. वाहन हेतु प्रपत्र 'ब' में दी गई दरें कार्यादेश की तिथि से एक वर्ष के लिए विधिमान्य हैं जिसे आपसी सहमति से 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है,
11. निविदा सूचना में अंकित अमानत राशि के रूप में बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक निविदा फार्म के साथ संलग्न हैं जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

क.सं.	**विवरण**	**राशि**

12. निविदा फार्म के साथ समस्त वांछित दस्तावेज तथा प्रमाण पत्र संलग्न है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

Government of Rajasthan

Department of Information Technology & Communication (DoIT & C), Jaipur

प्रपत्र – 'अ'

राजस्थान सरकार,
सूचना प्रोद्योगिकी और संचार विभाग,
योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

तकनीकी निविदा प्रपत्र

1. निविदादाता का नाम ....
2. निविदादाता का पूरा पता..
   ....
3. प्रोपराइटर/साझेदार का नाम
   व घर का पता
   अ. ....
   ब. ....
   स. ....
4. फोन नंबर (कार्यालय) .... निवास ....
   मोबाईल नंबर .... फैक्स नंबर ....

5. दस्तावेज़ – तकनिकी निविदा के साथ वाहनों के निम्नलिखित कागजातों की कॉपी संलग्न करना आवश्यक है।
   1. वाहन का रजिस्ट्रेशन
   2. वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र
   3. वाहन का वैध बीमा प्रमाण पत्र
   4. चालक का वैध ड्राइविंग लाइसेंस

निविदादाता के हस्ताक्षर

Government of Rajasthan

Department of Information Technology & Communication (DoIT & C), Jaipur

प्रपत्र – 'ब'

वित्तीय निविदा

(ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर उपलब्ध BoQ प्रारूप (.XLS) में निविदादाता द्वारा जमा करवाई जावे)

क्र. सं.	वाहन का प्रकार	वाहनों की संख्या	एक माह के लिए 2000 किलोमीटर का एकमुश्त मूल्य (a)	माह में 2000 किलोमीटर से अधिक होने पर प्रति किलोमीटर की दर (b)	दर समस्त करों सहित (रूपयो में) सर्विस टैक्स के अतिरिक्त (5=2X3)
	1	2	3	4	5
1	टोयोटा इनोवा / शेवरोले टवेरा / मारूति अर्टिगा / महिन्द्रा जाइलो	1			
2	स्वीफ्ट डिजायर / टोयोटा इटियोस	2			
				कुल योग	

नोट :–

L1 फर्म की गणना के लिए प्राप्त वित्तीय निविदाओं में 2000 किलोमीटर मासिक के लिए एकमुश्त राशि को 75 प्रतिशत भार एवं उसके पश्चात प्रति किलोमीटर की दर को समान किलोमीटर पर 25 प्रतिशत भार के आधार पर किया जावेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

Government of Rajasthan

Department of Information Technology & Communication (DoIT & C), Jaipur

<u>अनुलग्नक–'क'</u>

अंडरटेकिंग

मैसर्स (फर्म का नाम एवं पता) ....

.... शपथ पूर्वक निम्न घोषणा करती है कि :–

1. निविदा क्रमांक .... दिनांक .... में मेरे द्वारा दी गयी समस्त जानकारियाँ / दस्तावेज पूर्णतया सही हैं तथा गलत पाये जाने पर इसकी जिम्मेदारी मेरी रहेगी।

2. मेरे / हमारे द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि मेरी / हमारी फर्म केन्द्र / राज्य सरकार अथवा किसी भी सरकारी उपक्रम द्वारा Black Listed नहीं की गयी है।

हस्ताक्षर

नाम :

पद :

फर्म का नाम :

फर्म का पूर्ण पता :

Government of Rajasthan

Department of Information Technology & Communication (DoIT & C), Jaipur

अनुलग्नक 'ख'

करार पत्र

1. यह करार पत्र आज दिनांक .... माह .... सन् 2016 को एक पक्ष के .... (जिसे इसमें आगे 'अनुमोदित सप्लायर' कहा गया है तथा इस अभिव्यक्ति में, जहां संदर्भ द्वारा ऐसा स्वीकार किया जाएगा उसके उत्तराधिकारियों, निष्पादकों एवं प्रशासको को शामिल किया हुआ समझा जाएगा) तथा सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग (जिसे इसमें आगे 'विभाग' कहा गया है तथा इस अभिव्यक्ति में, जहां संदर्भ द्वारा ऐसा स्वीकार किया जाएगा, उसके पद के उत्तराधिकारियों एवं समनुदेशितियों को शामिल किया हुआ समझा जाएगा) द्वितीय पक्ष के बीच सम्पन्न किया गया।
2. चूंकि अनुमोदित सप्लायर द्वितीय पक्षकार विभाग को उसके जिला मुख्यालयों पर संलग्न की अनुसूची में दी गयी वस्तुओं को निविदा एवं संविदा शर्तो में दिए गए तरीके से तथा निम्नानुसार दर्शायी गई अनुमोदित दरों पर आपूर्ति करने के लिए सरकार से सहमत हो गया है। जिसकी प्रतिभूति राशि रू. .... /– रूपये है :–
3. एवं चूंकि अनुमोदित सप्लायर ने रूपये अनुबंध राशि का 5 प्रतिशत राशि प्रतिभूति राशि (security deposit) के रूप में निम्न प्रकार से जमा करा दी है :–

   (1) बैंक का नाम एवं ड्राफ्ट संख्या दिनांक राशि /–

क्र. सं.	मद	दर प्रति वाहन समस्त करों सहित (रूपयो में) **सिवाय सर्विस टैक्स**
	1	2
1	एक माह के लिए 2000 किलोमीटर का एकमुश्त मूल्य (a)	
2	माह में 2000 किलोमीटर से अधिक होने पर प्रति किलोमीटर की दर (b)	

4. अतः अब यह विलेख निम्नलिखित कर दिया गया है –

   (i) इस विभाग की निविदा सूचना संख्या F11(326)/DOIT/Project/16 दिनांक के क्रम में स्वीकृत की गई दरों पर शासन सचिव एवं आयुक्त सूचना प्रोद्योगिकी और संचार विभाग जयपुर द्वारा किये जाने वाले भुगतान के प्रतिफल में अनुमोदित सप्लायर आदेशित कार्यदिवस में तथा निविदा एवं संविदा की शर्तो में दिए गए तरीके से उक्त वस्तुओं की आपूर्ति का कार्य विधिवत् सम्पादन करेगा।

   (ii) निविदा सूचना संख्या F11(326)/DOIT/Project/16 दिनांक से संलग्न खुली निविदा हेतु निविदा एवं संविदा की शर्तो को तथा इस करार पत्र से जुड़ी शर्तो को इस करार पत्र के भाग के रूप में लिया हुआ समझा जाएगा तथा ये इस करार पत्र को निष्पादित करने वाले पक्षकारो के लिए मान्य होगी।

   (iii) विभाग एतद् द्वारा स्वीकार करता है कि यदि अनुमोदित सप्लायर विभाग द्वारा दी गई सूची अनुरूप आदेशित वस्तुओं की आपूर्ति को उपर्युक्त तरीके से विधिवत सम्पादन करेगा, उक्त शर्तो का पालन करेगा तथा उन्हें बनाये रखेगा, तो विभाग शासन सचिव एवं आयुक्त सूचना प्रोद्योगिकी और संचार विभाग जयपुर के माध्यम से अनुमोदित सप्लायर को उक्त शर्तो में दिये गये समय पर तथा तरीके से, प्रेषण के लिए देय राशि का भुगतान करेगी।
5. यदि फर्म निविदा एवं अनुबन्ध की शर्तो का पूर्णतः पालन नहीं करती है एवं कार्य सम्पादन आदेशानुसार नहीं करती है तो यह करार तुरन्त प्रभाव से निरस्त माना जायेगा। जिसके तहत् अनुबन्ध खण्डन के कारण फर्म की धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

6. परिनिर्धारित नुकसान के साथ तय अवधि में वृद्धि किये जाने के मामलें में निविदादाता यदि सेवा को देने में असफल रहता है तो, उन सेवाओं के मूल्य के निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर वसूली की जावेगी।

(क)	निर्धारित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए	2.5 प्रतिशत
(ख)	एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु आधी अवधि से अनधिक के लिए	5.0 प्रतिशत
(ग)	आधी अवधि से अधिक किन्तु 3 चौथाई अवधि से अनधिक के लिए	7.5 प्रतिशत
(घ)	निर्धारित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई अवधि से अधिक के विलम्ब के लिए	10.0 प्रतिशत

टिप्पणी :–

(i) विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम समय को छोड दिया जायेगा।

(ii) स्वीकार की गई परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।

(iii) यदि सप्लायर किसी प्रकार की बाधा के घटित हो जाने के कारण संविदान्तर्गत सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करने के लिए कहता है तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने वह सप्लाई का आदेश दिया था किन्तु यह आवेदन बाधा के घटित होने के तत्काल उसी समय दिया जायेगा न की सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद दिया जावेगा।

(iv) यदि माल की सप्लाई में विलम्ब ऐसे विघ्न के कारण हुआ हो जो निविदादाता के नियत्रण के परे हो तो सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित क्षति के साथ या उसके बिना कर दी जायेगी।

7. यदि अनुमोदित सप्लायर द्वारा निविदा प्रपत्र में निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप सप्लाई नहीं दी जाती है, या गुणवत्ता जाँच में कमी पाई जाती है तो इस स्थिति में क्रय समिति अथवा शासन सचिव एवं आयुक्त सूचना प्रोद्योगिकी और संचार विभाग जयपुर द्वारा गुणवत्ता की कमी के अनुसार देय भुगतान में आनुपातिक कटौति की जायेगी एवं शास्ति लगाई जाएगी। सप्लाई में गम्भीर अनियमितता पाए जाने पर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने व धरोहर राशि जब्त करने के लिए विभाग स्वतन्त्र है।

8. यदि अनुमोदित सप्लायर क्रय आदेश की पालना नहीं करता है तो विभाग अपना कार्य अनुमोदित सप्लायर के रिस्क एण्ड कोस्ट के तहत करवा सकेगा। जिसका हर्जाना अनुमोदित सप्लायर को चुकाना पड़ेगा।

9. अनुमोदित दरें अनुमोदन की तिथि से एक वर्ष के लिए विधि मान्य होगी जिसे आपसी सहमति से 6 माह तक और बढाया जा सकता है।

10. करार से उत्पन्न होने वाले समस्त विवाद तथा इस करार पत्र के निर्वचन या व्याख्या से संबंधित सभी प्रश्न शासन सचिव एवं आयुक्त सूचना प्रोद्योगिकी और संचार विभाग जयपुर द्वारा विनिश्चित किये जायेगें तथा शासन सचिव एवं आयुक्त सूचना प्रोद्योगिकी और संचार विभाग जयपुर का निर्णय अंतिम होगा।

11. निविदा की शर्ते इस अनुबन्ध का अभिन्न अंग होगी, साथ ही इनके अतिरिक्त अन्य शर्ते राजस्थान सरकार के राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार मान्य होगी।

12. विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र जयपुर, राजस्थान, रहेगा।

इसकी साक्षी में इसकें पक्षकारों ने आज दिनांक ...... माह .... 2016 को अपने हस्ताक्षर किये।

राज्यपाल के लिए एवं उनकी ओर से पदनाम **अनुमोदित सप्लायर के हस्ताक्षर**